न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या :–71/2022

प्रार्थीगण :–

1. पुरखाराम पुत्र श्री गंगाराम
2. फुसाराम पुत्र श्री भूराराम
3. बिरमाराम पुत्र श्री ताजाराम
4. भीखाराम पुत्र श्री उदाराम
5. भोमाराम पुत्र श्री ताजाराम
6. मगाराम पुत्र श्री उदाराम
7. रूगाराम पुत्र श्री ताजाराम
8. सताराम पुत्र श्री गंगाराम
9. हीराराम पुत्र श्री उदाराम सभी जाति जाट निवासी ग्रम चान्दरख तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरकार जरिये तहसीदार ओसियाँ जिला जोधपुर।
2. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुतराणियो की ढाणी चान्दरख तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थी पैराकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनॉक 12/3/22

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम चान्दरख के खसरा सख्या 707 रकबा 25 बीघा 11 बिश्वा भूमि आई हुई थी । उक्त भूमि में से प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी अधिकारो का प्रयोग करते हुए 0.10 बीघा भूमि विद्यालय बाबत समर्पण करवाई । जिस के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर उक्त 0.10 बीघा भूमि को मूल खसरा से अलग की जाकर खसरा सख्या 707/1 रकबा 0.0809 हेक्टर दर्ज की गई उक्त खसरा सख्या 707/1 रकबा 0.10 बीघा भूमि समर्पित किए जाने के पश्चात वर्तमान में मूल

सहायक कलेक्टर, ओसियाँ

Scanned with CamScanner

खसरा सख्या 707 के दक्षिण पश्चिम कोने पर विद्यालय संचालित हो रहा है तथा मौके पर विद्यालय बना भी हुआ है विद्यालय की दक्षिण सीमा की दीवार से सीधा पूर्वी दिशा की ओर से प्रार्थीगण की पौराणिक सीमा कायम है। वर्तमान में जहाँ पर विद्यालय संचालित हो रहा है उसे प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस को ऑनलाईन करते समय राजस्व कार्मचारियो के द्वारा त्रुटिवश उक्त खसरा सख्या 707/1 की भूमि मौके पर कब्जा के विपरीत तरमीम खसरा सख्या 707 की पूरी दक्षिणी सीमा पर कर दी जबकि मौके पर विद्यालय खसरा सख्या 707 के दक्षिणी पश्चिमी कौने पर संचालित हो रहा है तथा मौके पर बना हुआ भी है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त राजस्व कर्मचारियो के द्वारा त्रुटिवश मौके पर कब्जा के विपरीत की गई तरमीम को दुरूस्त करवाकर वर्तमान में मौके पर कब्जे अनुसार दक्षिण पश्चिमी सीमा के कौने पर व प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे अनुसार करवाने के अधिकारी हैं अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के द्वारा समर्पित भूमि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्रम चान्दरख के खसरा सख्या 707/1 रकबा 0.0809 हेक्टर भूमि की तरमीम दुरूस्त की जाकर मौके पर वर्तमान में कब्जे के अनुसार तथा प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार की जावे। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पैराकार सरकार द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित तरमीम का नजरी नक्शा पेश किया तथा वर्तमान में उक्त खसरा सख्या 707/1 की तरमीम भी वाछिंत स्थान पर किए जाने की अनुसंशा की ।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातदेारी की थी जिसमें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के स्थान पर तथा प्रस्तावित तरमीम के स्थान पर तरमीम करना बताया हे तथा मोके पर विद्यालय संचालित होना बताया है। अत उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

– :आदेश :–

अत प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वागद्रस्त भूमि तहसील ओसियॉं के राजस्व ग्रम चॉन्दरख के खसरा सख्या 707/1 की वांछित अशुद्व तरमीम निरस्त की जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तथा अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम का नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉं को आदेश जारी हो।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

निर्णय आज दिनाक 12/3/22 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

Scanned with CamScanner